तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
21.1.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट । श्री जगदम्बा प्रसाद, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स। **आदेश** 1. हस्तगत् दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। चूंकि दोनों अपीलों में पक्षकार, विवाद बिन्दु एवं तथ्य एक समान है तथा अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय भी समान होने के कारण हमारे द्वारा उक्त अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। 2. अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी गंगापुर के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय उपखंड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11–5–2001 द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश एवं पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–6–06 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलांट की खातेदारी की जमीन विवादित आराजी से चिपती हुई फिर भी उपखंड अधिकारी ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया। मूल प्रार्थना पत्र पर अस्पष्ट आदेश देते हुये टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाने के आदेश बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिया है। उपखंड अधिकारी को धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करनी चाहिये थी। अपीलार्थी की खातेदारी आराजी रेस्पोडेंट की आराजी से दो तरफ चिपती हुई। जिसे रेस्पोडेंट ने छुपा कर आदेश करवाया है। रेस्पोडेंट ने मूल खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। रेस्पोडेंट धारा 111 व 128 के तहत किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त नहीं कर सकते। अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपील खारिज की है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने गैर कानूनी रूपसे निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि विवादित आराजी का वह रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी भूमि की पैमाईश/पत्थरगढी करवाने का अधिकार रखता है। अपीलांट के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कथन में सत्यता नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। **6.** परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 11–5–01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी की पैमाईश/पत्थरगढी करवाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट की आराजी की पैमाईश/पत्थरगढी के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज की है। रेस्पोडेंट अपील में उल्लेखित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें नेखमबंदी करवाने का पूर्ण विधिक अधिकार है। पत्थरगढी/पैमाईश से न तो किसी के अधिकार प्रभावित होते है और न ही कोई अधिकार प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती है तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील प्रार्थनापत्र में अथवा दौराने बहस ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जिससे यह स्पष्ट हो कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि कारित की गई हो। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि उपखंड अधिकारी गंगापुर द्वारा पारित आदेश और उसे बहाल रखते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–6–2006 में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं। 8. परिणामतः हस्तगत दोनों अपीलें एतद्द्वारा खारिज की जाती है। आदेश की प्रति पृथक पृथक पत्रावली में संलग्न की जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	